रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052024-254121
CG-DL-E-09052024-254121

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1870] **नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2024/वैशाख 18, 1946**
No. 1870] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2024/VAISAKHA 18, 1946**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 2024

का.आ. 1963(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मित्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश 2024 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा ।

3 खंड 20 ग, से संबंधित " जैव प्रेरक के संबंध में विशिष्टताएं ", -

(i) उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैव प्रेरक के विनिर्देश जिसमें उसका नाम, क्रियाशील अवयव या अनुरेखक अणु या जहां यह क्रियाशील अवयव या अनुरेखक अणु पहचान करना संभव नहीं हैं तब उसका रसायनिक संयोजन, फसल का नाम जिसको यह लागू हो सकेगी, उसके क्रियाशील अवयव या अनुरेखक अणु या

रसायनिक संयोजन के विनिश्चय के लिए विश्लेषण के लाभ और पद्धति को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

(ii) उप-खंड (2) में, मद (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(झ) जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशकों को छोड़कर जीवित सूक्ष्म जीव"

(iii) उप-खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्, -,-

"(3) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैव प्रेरक का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता अनुसूची VI में इसे जैव प्रेरक के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए ऐसे उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित आकडों के साथ प्ररूप छ में नियंत्रक को एक आवेदन करेगा, अर्थात :-

क. रसायन:

1. स्रोत (पादप या सूक्ष्मजीव या पशु या कृत्रिम के प्राकृतिक अर्क)

2. उत्पाद विनिर्देश (गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस या राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रत्यायित प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण के साथ), सक्रिय अवयवों और सहायक क्रियाओं के भौतिक और रासायनिक गुण, यदि कोई हो

3. विनिर्देशों के अनुरुप विश्लेषण की रीति ।

4. शेल्फ जीवन ।

ख. जैव प्रभावकारिता परीक्षण;

1. कृषि जैव प्रभावकारिता परीक्षण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तंत्र जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, में संचालित किए जाएंगे ।

2. जैव प्रभावकारिता परीक्षण एक मौसम के कम से कम तीन विभिन्न खुराकों के रूप में तीन कृषि पारिस्थितिकी अवस्थानों पर संचालित किए जाएंगे;

ग. विषाक्ता:

1. संस्थान का नाम या रिपोर्ट या प्रकाशन के ब्योरे (जहां जैव प्रेरक के विनिर्माता ने प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है या दावे की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट)

2. प्रत्यायित प्रयोगशाला जीएलपी के निम्नलिखित पांच मूल घोर विषाक्ता परीक्षण (i) से (v) और चार पर्यावरण विषाक्ता परीक्षण (vi) से (ix) की सिफारिश के साथ परीक्षण रिपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात :-

(i) घोर मौखिक (मूसक);

(ii) घोर त्वचीय (मूसक);

(iii) घोर अंत: श्वसन (मूसक);

(iv) प्राथमिक त्वचा जलन (खरगोश);

(v) आंख में जलन (खरगोश);

(vi) पक्षी विषाक्ता;

(vii) मछली विषाक्ता (मीठा पानी);

(viii) मधुमख्खी विषाक्ता; और

(ix) केंचुआ विषाक्ता ।

टिप्पण :- कीटनाशकों की दशा में लंबी अवधि के पुराने अध्ययन संचालित करना आवश्यक नहीं हैं;

परन्तु प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स, समुद्री खरपतवार (एस्कोफिलम नोडुसुम, सारागासम, कप्पाफाइकस, ग्रेसिलेरिया और उलवा) अमीनो एसिड, विटामिन, ह्यूमिक और फुल्विक एसिड के मामले में कोई विष विज्ञान डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। निर्माता/आयातक को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका उत्पाद गैर-विषाक्त है और बायोस्टिमुलेंट के रूप में सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाएगा।

घ. भारी धातु विश्लेषण रिपोर्ट;

ङ. विनिर्माता या आयातकर्ता द्वारा, उत्पाद का नमुना दस रूपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथपत्र के साथ यह कथन करते हुए कि उत्पाद 1ppm की अनुज्ञेय सीमा से अधिक कीटनाशक नहीं रखता है:

परन्तु जैव प्रेरक के प्राकृतिक मूल या अन्य होने की दशा में आवश्यक आकडे की अपेक्षा इस संबंध में इसके बनाए गए दिशानिर्देशकों के अनुसार केन्द्रीय जैव प्रेरक समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

परन्तु यह और कि रसायन विज्ञान, जैव-प्रभावकारिता या विषाक्तता (छूट प्राप्त श्रेणियों के अलावा) पर डेटा के संचय पर उत्पाद या फॉर्मूलेशन को श्रेणियों में समूहीकृत करने पर विचार किया जाएगा और अनुसूची VI में शामिल किया जाएगा, डेटा के संचय पर, उत्पादों / फॉर्मूलेशन को जैवप्रभावकारिता और विषाक्तता छूट के लिए फसल समूहीकरण के अधीन विचार किया जाएगा ।

(iv) उप-खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्, -,-

"7. कोई भी व्यक्ति किसी भी जैव प्रेरक का निर्माण या आयात नहीं करेगा जब तक कि ऐसे जैव प्रेरक को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची VI में अधिसूचित नहीं किया जाता है"

(v) उप-खंड 8 का लोप किया जाएगा ।

(vi) उप-खंड 10 में अंकों और शब्दों, ".01 पीपीएम" के स्थान पर "1 पीपीएम" अंक और शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 7-14/2024-फर्ट लॉ]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक सा. का. नि. 758 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा उसका अंतिम संशोधन संख्याक का.आ. 1781 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 2024

S.O. 1963 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1.Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Third) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Clause 20 C, relating to " Specifications in respect of Biostimulants",-

(i) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) Notwithstanding anything contained in this Order, the specification of Biostimulants, including its name, active ingredient or tracer molecule or where it is not possible to indicate its active ingredient or tracer molecule there its chemical composition , name of crop to which it is applied , its benefits and the method of analysis for determination of its active ingredients or chemical composition or tracer molecule shall be specified by the Central Government in Schedule VI.."

(ii) in sub-clause (2), after item (h) and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

"(i) Live micro-organisms excluding biofertilizers and biopesticides";

(iii) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

" (3) Notwithstanding anything contained in this Order, for inclusion of any new Biostimulant in Schedule VI, manufacturer or importer shall submit an application to the controller in form G with the following data-

A. Chemistry:

1. Source (natural extracts of plant or microbe or animal or synthetic).

2. Product Specification (with analysis from Good Laboratory Practice or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory (NABL) accredited laboratory), Physical and Chemical properties of active ingredients and adjuvants, if any.

3. Method of analysis conforming to the specifications.

4. Shelf-life;

B. Bio-efficacy Trials

1. Agronomic Bio-efficiency trials shall be conducted at National Agricultural Research System, including Indian Council of Agricultural Research, State Agricultural Universities.

2. Bio-efficacy trials shall be conducted at minimum three different doses for one season at three agro ecological locations;

C. Toxicity:

1. Name of the Institute or Details of the Report or Publication (where the manufacturer of Biostimulant obtained the certificate or the report ratifying the claims)

2. The test report along with recommendation of following five basic acute toxicity tests (i) to (v) and four Eco toxicity tests (vi) to (ix) of GLP accredited laboratory shall be submitted along with the application, namely:-

(i) Acute oral (Rat);

(ii) Acute dermal (Rat);

(iii) Acute Inhalation (Rat);

(iv) Primary skin Irritation (Rabbit);

(v) Eye irritation (Rabbit);

(vi) Toxicity to bird;

(vii) Toxicity to Fish (Freshwater);

(viii) Toxicity to honeybee; and

(ix) Toxicity to earthworm.

Note: The Long-term chronic studies as in case of pesticides are not needed to be conducted:

Provided that in case of Protein hydrolysates, sea weed (*Ascophyllum nodusum, Saragassum, Kappaphycus, Gracilaria* and *Ulva)*, amino acids, vitamins, Humic and fulvic acid no toxicology data is required to be submitted. The manufacturer/ importer should submit an affidavit to the effect that their product is non-toxic and shall be safely used as Biostimulants.

D. Heavy metal analysis report;

E. The sample of the product along with an Affidavit by the manufacturer or importer on non judicial stamp paper of rupees ten stating that the product is not laced with pesticide beyond permissible limit of 1 ppm:

Provided that in case of a Biostimulant having natural origin or other, the requirement of necessary data shall be as decided by the Central Biostimulants Committee as per the guidelines formulated by it in this regard:

Provided further that on accumulation of data on chemistry, bio-efficacy or toxicity (other than exempted categories) product or formulation shall be considered for grouping into categories and shall be included in the Schedule VI, on accumulation of data, products or formulations shall be considered under crop grouping for bioefficacy and toxicity exemption".

(iv) for sub-clause 7, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"7. No person shall manufacture or import any Biostimulant, unless such Biostimulant is notified by the Central Government in Schedule VI."

(v) sub-clause 8 shall be omitted;

(vi) in sub-clause 10, for the figures and words, ".01 ppm", the figure and words "1 ppm", shall be substituted.

[F. No. 7-14/2024 Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 758 (E) dated 25th September,1985 and was last amended vide S.O. number 1781 (E) dated 22nd April, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.09 18:35:26 +05'30'